उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक ....सी / 1561............. जबलपुर, दिनाँक 11 / 04 / 2022
तीन–18–180 / 75 (गाइड लाईन)

प्रति,

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(राज्य के समस्त)
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
(राज्य के समस्त)

विषय :– जिला स्थापना स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति / दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक डी / 5577 सह परिपत्र क्रमांक डी / 5578 / तीन–18–180 / 75 (गाइडलाईन) दिनाँक 14 / 10 / 2015 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारियों से संबंधित 'स्थानांतरण नीति / एकीकृत दिशा–निर्देश' दिनाँक 11 / 04 / 2022, मय प्रारूप 'अ', 'ब' – अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पत्रों एवं 'स' – अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पत्रों की पंजी, आपकी ओर एतद् संलग्न सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आपके अधीनस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारियों के मध्य परिचालनार्थ प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
परिपत्र एवं प्रारूप।

11.4.2022

(विवेक सक्सेना)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

परिपत्र

क्रमांक ....सी / 1560............. जबलपुर, दिनाँक 11 / 04 / 2022
तीन–18–180 / 75 (गाइड लाईन)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्थापनाओं (District Establishments), जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना अर्थात् दोनों स्थापनायें सम्मिलित हैं, के स्तर पर पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त परिपत्रों / ज्ञापनों को निरस्त करते हुये, पदोन्नति के समय एवं अन्यथा, निम्नानुसार स्थानांतरण नीति / एकीकृत दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। यह स्थानांतरण नीति / एकीकृत दिशा निर्देश विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं हैं, इनके होते हुये भी स्थानांतरण के मामलों में न्याय–तंत्र का हित सर्वोपरि होगा :

(1) स्थानांतरण नीति / एकीकृत दिशा–निर्देश परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(2) कोर्ट मैनेजर, प्रशासनिक अधिकारी, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट एवं उप–प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर :–

(i) एक स्थापना पर, पदस्थापना की सामान्य अवधि 03 (तीन) वर्ष की होगी। अवधि की गणना के लिये प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कटऑफ तिथि मानी जावेगी एवं 06 (छः) माह से अधिक की अवधि को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। उच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक स्थानांतरण सामान्यतः प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक किये जावेंगे।

(ii) कर्मचारी की अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने से 01 (एक) वर्ष पूर्व उनके द्वारा वांछा किये जाने पर, पद रिक्त होने की स्थिति में गृह जिले में स्थानांतरण के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

(iii) 03 वर्ष की पदस्थापना अवधि में 01 (वर्ष) की अवधि का विस्तार संबंधित कर्मचारी के अभ्यावेदन पर उसी स्थिति में किया जा सकेगा, जब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (जो

भी लागू हो) कर्मचारी के अभ्यावेदन में दिये गये आधारों की युक्तियुक्तता का सत्यापन करते हुये उक्त आशय की अनुशंसा करेंगे।

(iv) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण अभ्यावेदन निरस्त होने के आदेश से 06 (छः) माह की अवधि तक नवीन स्थानांतरण अभ्यावेदन पर सामान्यतः पुनः विचार नहीं किया जावेगा, जब तक कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (जो भी लागू हो) के अनुसार अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हुई हो।

(3) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर एक ही जिले के भीतर समान पदस्थापना (Same Establishment) अथवा भिन्न पदस्थापना (Different Establishment) में :–

(i) कर्मचारी की समान जगह (on the same seat) पर पदस्थापना की सामान्य अवधि 03 (तीन) वर्ष की होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा वार्षिक स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष माह मई–जून (ग्रीष्मकालीन अवकाश) में किये जावेंगे। पदभार ग्रहण करने हेतु सामान्यतः एक सप्ताह का समय दिया जावेगा।

(ii) उपरोक्तानुसार वार्षिक श्रृंखला से भिन्न स्थानांतरण के मामलों में, पदभार ग्रहण काल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित रहेगा।

(iii) जिले के भीतर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना में, पदोन्नति एवं वार्षिक श्रृंखला में, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किये जावेंगे।

(iv) उपरोक्तानुसार पदोन्नति एवं वार्षिक श्रृंखला से भिन्न स्थानांतरण के मामलों में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की पारस्परिक सहमति से कर्मचारियों की अदला–बदली एवं स्थानांतरण किये जावेंगे। प्रस्ताव/आपत्ति जैसी भी स्थिति हो, एक दूसरे को संसूचित करने के 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर आपसी सहमति नहीं

बनने अथवा असहमति की दशा में, उपरोक्तानुसार अंतर जिला स्थानांतरण रजिस्ट्री के माध्यम से होंगे। इस हेतु यथा स्थिति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, प्रस्ताव/आपत्ति रजिस्ट्री को अग्रेषित करेंगे।

(v) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना में से किसी पद पर सामान्यतः स्वीकृत पदों से अधिक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापनाऐं, संलग्नीकरण (Attachment) इत्यादि द्वारा नहीं की जावेगी। विशेष परिस्थितियों/विशेष समयावधि हेतु आवश्यक होने पर उपरोक्तानुसार रजिस्ट्री से पूर्वानुमति प्राप्त कर पदस्थाना की जा सकेगी।

(vi) पति–पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, यथासंभव एक ही जिले में उनका स्थानांतरण, प्रशासकीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर किया जा सकेगा।

(4) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अंतर जिला (inter district) स्थानांतरण के मामलों में :–

(i) किसी स्थापना पर लेखापाल/सहायक लेखापाल/अन्य तकनीकी कर्मचारी की आवश्यकता होने पर, उस जिले की स्थापनाओं पर संबंधित कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रस्ताव पर, आसपास की जिला स्थापनाओं से, अंतर जिला स्थानांतरण रजिस्ट्री के माध्यम से हो सकेंगे।

(ii) जिन कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उनका अंतर जिला स्थानांतरण नहीं किया जावेगा/स्थानांतरण के समय उनके द्वारा दिये गये विकल्प पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा।

(iii) पति–पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, यथासंभव एक ही जिले में उनका स्थानांतरण, प्रशासकीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर किया जा सकेगा।

(iv) ऐसे कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता या बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहाँ निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत कर सकें।

(v) कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अतिरिक्त गंभीर बीमारी, डायलिसिस या ओपन हार्ट सर्जरी के मामलों में, वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर नियमित जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर, जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर, कर्मचारी द्वारा अंतर–जिला स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

(5) प्रशासनिक कारणों से अंतर जिला (inter district) स्थानांतरण :–

(i) प्रशासनिक आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के विशेष प्रतिवेदन अथवा प्रथम दृष्टया प्रमाणित गंभीर प्रकृति की शिकायत एवं अन्य किसी पर्याप्त एवं उचित प्रशासनिक आधार पर हो सकेंगे। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित हुए कर्मचारी को पुनः उसी स्थापना में वापस स्थानांतरित नहीं किया जावेगा।

(ii) ऐसे स्थानांतरण की अवधि शिकायत की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, सामान्यतः 01 (एक) वर्ष की होगी। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित हुये कर्मचारी को उसके अभ्यावेदन पर 01 (एक) वर्ष के उपरांत, संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के विशेष प्रतिवेदन में कर्मचारी के कार्य, आचरण एवं व्यवहार में सुधार परिलक्षित होने पर, उसके गृह जिले के नजदीक के किसी जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(iii) गृह जिले के आस–पास के जिलों में से किसी भी प्रधान जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की सहमति वापसी

स्थानांतरण के मामलों में अप्राप्त रहने पर, रजिस्ट्री स्तर से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर, स्थानांतरण किया जा सकेगा।

(6) स्वयं के व्यय पर पारस्परिक (mutual) अंतर जिला स्थानांतरण :–

(i) स्वयं के व्यय पर, पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र **प्रारूप–''अ''** में होगा।

(ii) संबंधित कर्मचारी अपने–अपने जिले की स्थापना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरण आवेदन पत्र 03–03 (तीन–तीन) मूल प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र की प्राप्ति के **10 (दस) दिवस के भीतर** संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आवेदन पत्र की प्रविष्टियों का कार्यालयीन सत्यापन कराकर, आवेदन पत्र की एक–एक प्रति, कर्मचारी से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों (निराकृत एवं लंबित) की जानकारी, संबंधित कर्मचारी को अपनी स्थापना से छोड़ने (spare) की स्पष्ट सहमति/असहमति तथा कर्मचारी के पूर्ववर्ती 05 (पांच) वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों, जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो तो, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित, अपने प्रतिस्थानी (counterpart) प्रधान जिला एवं न्यायाधीश एवं रजिस्ट्री को भिजवायेंगे।

(iii) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्तानुसार दस्तावेज एवं जानकारी उनके ई–मेल पते पर भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भिजवाई जावेंगी। रजिस्ट्री को दस्तावेज एवं जानकारी ई–मेल आई.डी. **regdehcjbp@mp.gov.in** पर भी भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भेजी जावेंगी।

(iv) उस जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहाँ कि जिला स्थापना/कुटुम्ब न्यायालय स्थापना पर अंतर–जिला स्थानांतरण वांछित है, उपरोक्तानुसार स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने के **10 (दस) दिवस के भीतर**, संबंधित प्रवर्ग में रिक्त पद/आगामी तीन माह में संभावित रिक्त पद, उपलब्ध होने की दशा में कर्मचारी को अपनी स्थापना पर आमेलित

(absorb) करने के संबंध में अपनी स्पष्ट सहमति/असहमति, अपने प्रतिस्थानी (counterpart) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं रजिस्ट्री को भिजवायेंगे। असहमति की दशा में, असहमति के कारणों के स्पष्ट उल्लेख सहित, स्थापना पर संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद/आगामी तीन माह की अवधि में संभावित रिक्त पद की जानकारी भी रजिस्ट्री को प्रेषित की जावेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्तानुसार दस्तावेज एवं जानकारी उनके ई–मेल पते पर भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भिजवाई जावेंगी। रजिस्ट्री को दस्तावेज एवं जानकारी ई–मेल आई.डी. **regdehcjbp@mp.gov.in** पर भी भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भेजी जावेंगी।

(v) उपरोक्तानुसार रिक्त पद की जानकारी में जिला स्थापना/कुटुम्ब न्यायालय स्थापना की जानकारी सम्मिलित रहेगी तथा जानकारी पृथक–पृथक दर्शित कर, संसूचित की जावेगी।

(vi) उपरोक्तानुसार समय सीमा (time line) के व्यतीत होने पर कर्मचारी **प्रारूप–''अ''** के आवेदन पत्र की 03 (तीन) प्रतियाँ रजिस्ट्री को प्रेषित कर सकेंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश यथास्थिति कर्मचारी को छोड़ने (spare) एवं आमेलित (absorb) करने के संबंध में, उपरोक्तानुसार विहित समय सीमा (time line) में सहमति/असहमति संसूचित नहीं करने पर, सहमति एवं असहमति व्यक्त करने के अपने अधिकार को बिता देंगे। तदोपरांत रजिस्ट्री स्तर पर समय सीमा बढ़ायी जा सकेगी अथवा यथास्थिति कर्मचारी को छोड़ने (spare) एवं आमेलित (absorb) करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(7) स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर, एकल (single) अंतर जिला स्थानांतरण–

(i) स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर एकल अंतर जिला स्थानांतरण हेतु संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र **प्रारूप–''ब''** में होगा।

(ii) संबंधित कर्मचारी अपने जिले की स्थापना के प्रधान जिला एवं न्यायाधीश को स्थानांतरण आवेदन पत्र 03 (तीन) मूल प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति के **10 (दस) दिवस के भीतर** संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आवेदन पत्र की प्रविष्टियों का कार्यालयीन सत्यापन कराकर, आवेदन पत्र की एक–एक प्रति, कर्मचारी से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों (निराकृत एवं लंबित) की जानकारी, संबंधित कर्मचारी को अपनी स्थापना से छोड़ने (spare) की स्पष्ट सहमति/असहमति तथा कर्मचारी के पूर्ववर्ती 05 (पांच) वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों, जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो तो, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित, अपने प्रतिस्थानी (counterpart) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं रजिस्ट्री को भिजवायेंगे।

(iii) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्तानुसार दस्तावेज एवं जानकारी उनके ई–मेल पते पर भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भिजवाई जावेंगी। रजिस्ट्री को दस्तावेज एवं जानकारी ई–मेल आई.डी. **regdehcjbp@mp.gov.in** पर भी भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भेजी जावेंगी।

(iv) उस जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहाँ कि जिला स्थापना/कुटुम्ब न्यायालय स्थापना पर अंतर–जिला स्थानांतरण वांछित है, उपरोक्तानुसार स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने के **10 (दस) दिवस के भीतर**, संबंधित प्रवर्ग में रिक्त पद/आगामी तीन माह में संभावित रिक्त पद, उपलब्ध होने की दशा में कर्मचारी को अपनी स्थापना पर आमेलित (absorb) करने के संबंध में अपनी स्पष्ट सहमति/असहमति, अपने प्रतिस्थानी (counterpart) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं रजिस्ट्री को भिजवायेंगे। असहमति की दशा में, असहमति के कारणों के स्पष्ट उल्लेख सहित, स्थापना पर संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद/आगामी तीन माह की अवधि में संभावित रिक्त पद की जानकारी भी रजिस्ट्री को प्रेषित की

जावेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्तानुसार दस्तावेज एवं जानकारी उनके ई–मेल पते पर भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भिजवाई जावेंगी। रजिस्ट्री को दस्तावेज एवं जानकारी ई–मेल आई.डी. **regdehcjbp@mp.gov.in** पर भी भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भेजी जावेंगी।

(v) उपरोक्तानुसार रिक्त पद की जानकारी में जिला स्थापना/कुटुम्ब न्यायालय स्थापना की जानकारी सम्मिलित रहेगी तथा जानकारी पृथक–पृथक दर्शित कर, संसूचित की जावेगी।

(vi) उपरोक्तानुसार समय सीमा (time line) के व्यतीत होने पर कर्मचारी **प्रारूप–''ब''** के आवेदन पत्र की 03 (तीन) प्रतियां रजिस्ट्री को प्रेषित कर सकेंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश यथास्थिति कर्मचारी को छोड़ने (spare) एवं आमेलित (absorb) करने के संबंध में, उपरोक्तानुसार विहित समय सीमा (time line) में सहमति/असहमति संसूचित नहीं करने पर, सहमति/असहमति व्यक्त करने के अपने अधिकार से वंचित हो जावेंगे। तदोपरांत रजिस्ट्री स्तर पर समय–सीमा बढ़ाई जा सकेगी अथवा यथास्थिति कर्मचारी को छोड़ने (spare) एवं अमेलित (absorb) करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(8) अंतर जिला स्थानांतरण हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, आवेदन पत्र, सहमति/असहमति इत्यादि के मामलों में :–

(i) प्रत्येक जिला स्थापना पर ''अंतर–जिला स्थानांतरण आवेदन पत्रों की पंजी'' **प्रारूप–''स''** में, उप–प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संधारित की जावेगी। पंजी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा त्रैमासिक अंतराल में सत्यापित की जावेगी।

(ii) उपरोक्तानुसार स्थानांतरण नवनियुक्त कर्मचारी द्वारा पदस्थापना के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर हो सकेंगे।

(iii) सहमति/असहमति हेतु संबंधित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 05 (पांच) वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में विचार किया

जावेगा। प्रत्येक कर्मचारी के मामले पर उसकी स्वयं की योग्यता के आधार पर पृथक–पृथक विचार किया जावेगा, कर्मचारियों की योग्यताओं का कोई तुलनात्मक निर्धारण करना आवश्यक नहीं होगा।

(iv) कर्मचारी का स्वास्थ्य, आचरण, उसके विरूद्ध विभागीय निराकृत एवं लंबित जाँच और शिकायतें अन्य आधार होंगे, जिनसे अंतर–जिला स्थानांतरण नियंत्रित होगा।

(v) अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आधार वास्तविक होकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्यापित होने चाहिये।

(vi) अंतर जिला स्थानांतरण हेतु सहमति दिये जाने एवं आवेदन पत्र के निराकृत होने के बीच की अवधि में, यदि कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित होती है, तब उसकी सूचना संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तत्काल रजिस्ट्री को ई–मेल आई.डी. **regdehcjbp@mp.gov.in** पर की जावेगी एवं दूरभाष/मोबाइल पर संसूचित की जावेगी।

(vii) जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है अर्थात प्रशासनिक अधिकारी, उप–प्रशासनिक अधिकारी, लेखापाल, वरिष्ठ निज सहायक, निज सहायक, स्टेनोग्राफर के अतिरिक्त, अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के, पारस्परिक सहमति एवं एकल अंतर–जिला स्थानांतरण के मामलों में नवीन जिला स्थापना पर कर्मचारियों की वरिष्ठता उसके संबंधित प्रवर्ग में पदभार ग्रहण करने की तिथि से गिनी जावेगी, इस हेतु कर्मचारी को आवेदन में ही लिखित सहमति देनी होगी। स्थानांतरित कर्मचारी का नाम, नवीन पदस्थापना पर उनके प्रवर्ग की वरीयता सूची में, अंतिम प्रक्रम पर रखा जावेगा।

(viii) अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आधारों को उपयुक्त मामलों में शिथिल किया जा सकेगा।

(9) स्थानांतरण अभ्यावेदन निरस्त होने के फलस्वरूप – तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण अभ्यावेदन/आवेदन निरस्त होने के आदेश से 06 (छः) माह की अवधि तक नवीन स्थानांतरण अभ्यावेदन/आवेदन

पर सामान्यतः पुनः विचार नहीं किया जावेगा, जब तक कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (जो भी लागू हो) के अनुसार अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हुयी हो।

(10) **कार्यमुक्ति की अवधि में वृद्धि** – यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिये कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो, तो कार्यमुक्त करने के लिये रजिस्ट्री से अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जावेगा।

(11) **एकतरफा कार्यमुक्ति** – यथा स्थिति, एक सप्ताह अथवा स्थानांतरण आदेश में उल्लिखित तिथि अथवा बढ़ी हुई तिथि व्यतीत हो जाने पर कार्यालय प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को कार्यमुक्त कर सकेंगे।

(12) **वेतन आहरण** – स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन आहरण पूर्व पदस्थापना से बंद हो जायेगा, यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे, इसके लिये कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगें। कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

(13) **अवकाश स्वीकृति** – कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश, रजिस्ट्री का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

(14) **अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही** – स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

11.4.2022

(विवेक सक्सेना)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

प्रारूप–''अ''

स्वयं के व्यय पर पारस्परिक (mutual), अंतर–जिला स्थानांतरण हेतु संयुक्त आवेदन–पत्र

आवेदकों की सेवा संबंधी जानकारी

स0क्रं0	विवरण		प्रथम आवेदक	द्वितीय आवेदक
(1)	कर्मचारी का नाम	:		
(2)	पिता / पति का नाम	:		
(3)	पत्राचार का पता	:		
(4)	जन्मतिथि	:		
(5)	नियुक्ति दिनॉक	:		
(6)	वर्तमान में धारित पद एवं दिनॉक	:		
(7)	वेतनमान	:		
(8)	शैक्षणिक योग्यता	:		
(9)	तकनीकी योग्यता	:		
(10)	जिला न्यायिक स्थापना / कुटुम्ब न्यायालय स्थापना का नाम	:		

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

: : घोषणा–पत्र : :

उपरोक्तानुसार वांछित पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण हेतु संयुक्त आवेदन पत्र हम आवेदकों ने आपसी स्वैच्छिक सहमति से दिया है। उपरोक्तानुसार स्थानांतरण की दशा में, हम नवीन जिला स्थापना पर अपने प्रवर्ग की वरीयता सूची में, अपने नामों को अंतिम प्रक्रम पर रखे जाने हेतु लिखित सहमति, एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

(प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर) (द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट :– जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है, उनको वरीयता सूची में अपने नाम को अंतिम प्रक्रम पर रखे जाने हेतु लिखित सहमति देना आवश्यक नहीं है।

–00–

प्रारूप–"ब"

स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर एकल (single) अंतर–जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन–पत्र

(1) कर्मचारी का नाम :

(2) पिता / पति का नाम :

(3) पत्राचार का पता :

(4) जन्मतिथि :

(5) नियुक्ति दिनॉक :

(6) वर्तमान में धारित पद एवं दिनॉक :

(7) वेतनमान :

(8) शैक्षणिक योग्यता :

(9) तकनीकी योग्यता :

(10) जिला न्यायिक स्थापना / कुटुम्ब न्यायालय स्थापना का नाम :

(11) आधारों के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों का विवरण : (i),.................... (ii) .... (iii).....................

(आवेदक के हस्ताक्षर)

: : घोषणा पत्र : :

वांछित अंतर जिला स्थानांतरण होने की दशा में, मैं अपनी नवीन पदस्थापना की स्थापना पर, अपने प्रवर्ग की वरीयता सूची में अंतिम प्रक्रम पर अपने नाम को रखे जाने स्वैच्छिक लिखित सहमति, एतदद्वारा देता हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट :– जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है, उनको उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र देना आवश्यक नहीं है।

–00–

प्रारूप – ''स''

''अंतर–जिला स्थानांतरण आवेदन पत्रों की पंजी''

(जिला न्यायिक स्थापना का नाम ....)

स.क्रं.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनॉक	आवेदन पत्र के दूसरी जिला स्थापना / रजिस्ट्री को भिजवाने का दिनॉक सहित विवरण	आवेदक के हस्ताक्षर (यदि वह स्वयं उपस्थित है)	उप–प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर	त्रैमासिक सत्यापन का दिनॉक सहित विवरण	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)